दिनांक 20.05.2019

स्वच्छ भारत अभियान स्वच्छ एवं सुदर भिलाई

खुले में सूअर को आग मे भुंजकर कर रहे थे विक्रय, उड़न दस्ता की टीम ने की कार्यवाही

भिलाईनगर/ नगर पालिक निगम , भिलाई की उड़नदस्ता टीम ने आयुक्त के निर्देश पर डिस्पोजल , गिलास, पानी पाउच, एक्सपायरी डेट के खाद्य एवं पेय पदार्थ पर बड़ी कार्यवाही कर रही है। जिसमें जोन 01 नेहरु नगर के अतंर्गत कोहका मार्केट व सिरसा रोड पर पर्यावरण को नुकसान पहूंचाने वाले धुआं काफी मात्रा फैलाने वाले, प्रतिष्ठानों के सामने वाहनों को बेतरतीब रखने वाले, लायसेंस नहीं रखने वाले प्रतिष्ठानों के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए दो दिनों में कुल 21500 रुपये अर्थदण्ड वसूल किया गया। उड़नदस्ता टीम ने रूआबांधा क्षेत्र में खुले में सूअर को आग में भुंजकर प्रदूषण फैलाने एवं विक्रय करने वाले विरुद्ध कार्यवाही करते हुए समझाइश देकर विक्रय बंद कराया गया तथा जुर्माना भी वसूल किया गया इसके अतिरिक्त गंदगी फैलाने वाले होटल , रेस्टोरेंट, रोड बाधा, दुकानदार, लायसेंस नहीं रखने वाले व्यवसायियों , अवैध रुप से व्यवसाय करने वाले , प्रतिबंधित प्लास्टिक/डिस्पोजल, कैरीबैग रखने वाले लोगों के खिलाफ कार्यवाही की । सालिड वेस्ट मैनेजमेंट एवं पर्यावरण संरक्षण संशोधन अधिनियम 2019 के तहत् 2 दिनों में 21 प्रतिष्ठानों से लगभग 21500.00 रुपये का अर्थदण्ड लगाया गया है साथ ही उन्हे चेतावनी दी गई की दूसरी बार इस तरह की हरकत न करें।नगर पालिक निगम भिलाई के आयुक्त एस0के0 सुंदरानी के निर्देशानुसार उड़नदस्ता की टीम आज जोन 01 नेहरु नगर के अंतर्गत कोहका मार्केट व सिरसा रोड चौधरी किशन , देशमुख, फैंसी आयटम, मेडिकल, साहू, शुभम किराना, वीनू साड़ी सेन्टर, सांई गिप्ट कार्नर, भारत लाल पटेल, नव दुर्गा किराना, दीपक किराना, शोएब फेन्टी, पाण्डेय पान पैलेस पर कार्यवाही की गई। कार्यवाही में उड़नदस्ता द्वारा 21 व्यवसायियों से लायसेंस, प्रतिबंधित प्लास्टिक कैरीबैग, डिस्पोजल जब्तकर दाण्डिक शुल्क एवं अर्थदण्ड लिया गया। श्री सुंदरानी ने व्यवसायियों से अपील की है कि अपने दुकान के सामने गाड़ी को बेतरतीब न रखने दे जिससे रोड पर आने जाने वाले लोगों को परेशानी का सामना करना न पड़े और व्यवसायिक लायसेंस अपने दुकान पर ही रखें।

जनसम्पर्क अधिकारी

''जल है तो कल है'' ''जल ही जीवन है''